

File No. अधि-1208/1/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6170)

1/9423/2022

1/9423/2022

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून
वनादेश सं० 14 /1-13(13) (HRD) देहरादून दिनांक, // नवम्बर, 2022

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 1/8678/2022/1-13(एच0आर0डी0) दिनांक 28-10-2022 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 03-11-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्त के सापेक्ष निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों वेतनमान रू० 47600-151100 लेवल-8 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 56100-177500 लेवल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री हरिकृष्ण	प्र०व०सं०, वन पंचायत, हल्द्वानी	प्र०व० हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी
2	श्री उमेश चन्द्र	अ०प्र०व०सं०, वन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रबंधन हल्द्वानी	अ०प्र०व०सं०, वन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रबंधन, हल्द्वानी
3	श्रीमती रेनु आर्या	वन वर्धनिक उत्तराखण्ड नैनीताल	प्र०व० नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल
4	श्रीमती हंसा पांगती	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर	प्र०व० पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
5	श्रीमती सुनीता थपलियाल	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त पौड़ी	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी
6	श्रीमती सुखपती बोनाल	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी	मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना हल्द्वानी (वन संरक्षक, कार्ययोजना कुमाऊं हेतु)
7	श्री पदमेन्द्र सिंह नेगी	प्र०व० रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग	प्र०व०, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
8	श्री चन्द्रमोहन रावत	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी	निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी

1. पदोन्नत अधिकारी द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo), नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित अधिकारी पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. यदि अधिकारी द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो अधिकारी से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

4. अधिकारी की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

Signed by Vinod Kumar
Date: 10-11-2022 17:57:18

(विनोद कुमार)
 प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

File No. अध-1-1208/1/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6170)

1/9423/2022

आदेश सं-14

1/9423/2022

पत्र सं 1/9423/2022 (1)/1-13(13) (HRD) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- ✓ 6. मु0व0सं0, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

17/11/22
 वन संरक्षक प्रमुख कोषाधिकारी
 17/11/22
 17/11/22